रेफरेंस/एल.आर./442/2002/जयपुर
राजस्थान सरकार बनाम सूरज बक्स

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-10-2020	एकल–पीठ डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य **<u>उपस्थितः</u>** श्री ओ.पी.भट्ट, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी। श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी व श्री रविन्द्र सेठी, अधिवक्तागण अप्रार्थी। **–: <u>आदेश</u> :–** यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 67/1999 में अनुशंषित कार्यवाही निर्णय दिनांक 23–11–2001 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है। 2– संक्षिप्त में रेफरेन्स के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, बस्सी ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय, अतिरिक्त कलेक्टर (प्रथम), जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एकीकरण खतौनी जमाबंदी संवत 2019 ग्राम रामरतनपुरा तहसील बस्सी में खसरा नंबर 105 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 104 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा माफी मंदिर श्री माताजी सांगाजी बहतमाम पुजारी सूरजबक्स पुत्र लक्ष्मीनारायण कौम ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में खुदकाश्त दर्ज था। इसी प्रकार खसरा नंबर 55 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा माफी मंदिर श्री मुरली मनोहरजी बहतमाम पुजारी जगन्नाथ, रामसहाय पिसरान मांगीलाल, कालू वल्द मूलचन्द, घासीलाल वल्द बदरीनारायण, सूजा वल्द लक्ष्मीनारायण, लादू वल्द गणेश ब्राह्मण की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में सूज्या वल्द लक्ष्मीनारायण कौम ब्राह्मण सा. देह का नाम दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी संवत 2021–24 बनाते समय माफी मंदिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी सूरजबक्स वल्द लक्ष्मीनारायण कौम ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज कर दी गई। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2054–57 में अप्रार्थी सूरजबक्स पुत्र लक्ष्मीनारायण की खातेदारी में दर्ज है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मंदिर की भूमि के खातेदारी अधिकार हस्तांतरण नहीं हो सकते। अतः अप्रार्थी का नाम विलोपित कर पुनः माफी मन्दिर के नाम विवादित आराजी दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर ने विधि सम्मत् कार्यवाही कर अपने निर्णय से अपनी अनुशंषा के साथ यह रेफरेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है। 3– हमनें उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस रेफरेंस पर बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री मुरली मनोहर जी व माफी मंदिर माताजी सांगीजी की खातेदारी में दर्ज थी। माफी मन्दिर की भूमि पुजारी अथवा निजी व्यक्तियों के खातेदारी में अभिलिखित नहीं की जा सकती है, क्योंकि नियमों में मन्दिर/मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45(4) व धारा 46(ए) के अनुसार नाबालिग व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि की काश्त अन्य व्यक्ति द्वारा करवाई जा सकती है। चूंकि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और उसके द्वारा पुजारी से काश्त कराई जा सकती है। अन्त में उन्होंने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत विवादित आराजीयात वर्तमान में अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि के संबंध में स्वीकृत नामांतरकरण निरस्त किये जावे तथा उक्त भूमि पुनः माफी मन्दिर जी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे। 4– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व माफी मंदिर की मिल्कियत में दर्ज थी। अप्रार्थी के पूर्वज उक्त भूमि के खातेदार थे। राजस्थान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने पर मंदिर माफी की भूमि का पुनग्रर्हण किया जाकर स्वाम्तिव राज्य सरकार में निहित हो गया। उक्त भूमि कभी भी मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं रही है। सूरज बक्स पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण उक्त भूमि के खातेदार कृषक थे जिन्हें विवादित आराजी के रहन, बय, मुंतकिल आदि के पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। इसलिए जागीर पुनर्ग्रहण होने पर राजस्व अभिलेख में उनका नाम पूर्ववतः खातेदार कृषक के रूप में अंकित रहा। अप्रार्थी को उक्त भूमि जरिये विरासत में प्राप्त होकर दर्ज रिकार्ड हुई है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24–5–2007 द्वारा निर्देशित किया गया है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय माफी मंदिर की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा खदिमदार आदि नाम से दर्ज थी उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त थे। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिर के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्ति का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। उक्त परिपत्र के आधार पर रेफरेंस प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। 5– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। 6– वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि पत्रावली पर उपलब्ध एकीकरण खतौनी जमाबंदी संवत 2019 ग्राम रामरतनपुरा तहसील बस्सी में खसरा नंबर 105 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 104 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा माफी मंदिर श्री माताजी सांगाजी बहतमाम पुजारी सूरजबक्स पुत्र लक्ष्मीनारायण कौम ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में खुदकाश्त दर्ज था। इसी प्रकार खसरा नंबर 55 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा माफी मंदिर श्री मुरली मनोहरजी बहतमाम पुजारी जगन्नाथ, रामसहाय पिसरान मांगीलाल, कालू वल्द मूलचन्द, घासीलाल वल्द बदरीनारायण, सूजा वल्द लक्ष्मीनारायण, लादू वल्द	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गणेश ब्राह्मण की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में सूज्या वल्द लक्ष्मीनारायण कौम ब्राह्मण सा. देह का नाम दर्ज था। पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 5 व 10 से स्पष्ट है कि विवादित भूमि मंदिर के नाम से हटाकर पहले अप्रार्थीगण के पिता तथा बाद में अप्रार्थी के पक्ष में विरासत का नामांतरकरण खोला गया है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2021–24 में माफी मंदिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी सूरजबक्स वल्द लक्ष्मीनारायण कौम ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज कर दी गई। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2054–57 में विवादित भूमि अप्रार्थीगण के पिता सूरजबक्स पुत्र लक्ष्मीनारायण की खातेदारी में दर्ज है। 7– राजस्व अभिलेख मुताबिक इस प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में अथवा अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसा कोई अभिलेख साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी को उत्तराधिकारी एवं हस्तान्तरण के सम्पूर्ण अधिकार थे और न ही किसी सक्षम न्यायालय का ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर मन्दिर मूर्ति के नाम अंकित भूमि को अप्रार्थी के नाम अन्तरित कर अभिलिखित कर दिया जावे। मुताबिक खतौनी बंदोबंस्त भू प्रबंध विभाग संवत 2019 से यह भूमि स्पष्ट रूप से माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी तथा माफी मंदिर श्री माताजी सांगाजी के नाम दर्ज थी। 8– यहाँ यह भी नितान्त स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजीयात को निजी व्यक्तियों के खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नबाालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये हैं तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे। अतः यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी तथा माफी मंदिर श्री माताजी सांगाजी की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। 9– फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा नामांतरकरण संख्या 5 व 10 निरस्त किये जाकर ग्राम रामरतनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित विवादित भूमि जो अप्रार्थीगण के पिता सूरज बक्स के नाम दर्ज की गई है, को अप्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थीगण के नाम के अंकन को राजस्व अभिलेखों में निरस्त किया जाकर जमाबंदी संवत 2019 के अनुसार पुनः खसरा नंबर 105 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 104 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल 4 बीघा 13 बिस्वा माफी मंदिर श्री माताजी सांगाजी के नाम तथा खसरा नंबर 55 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा को माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। 10– पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	